

26/3/24

वकील पक्षकारान हाजिर श्रीमान् एसडीएम साहब  
अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त  
है, पत्रावली दिनांक 6/5/24 को पेश हो

6/5/24 वकील वार्ड एवं परिवारिक के हाजिर  
नहीं आने पर न्यायालय द्वारा कम्प्लेंट  
के आवाजे लगाई गई। वार्ड एवं परिवारिक  
अधिवक्ता के हाजिर नहीं आये इस लक्ष्य  
पर मूल वार्ड वार्ड अदालत हाजिर एवं अदालत  
पेशी पर खारिज किया जा रहा है कि वकील  
मिफित होकर हाजिर उपलब्ध है।

निमित्त खुले न्यायालय के सुशोभा

(Handwritten mark)

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंह नगर

